न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कसोटिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 01 / 2023

प्रार्थीगण :–

01.प्रतापराम पुत्र श्री घासीराम जाति धानका निवासी नई सडक जोधपुर।

02.रूपचन्द पुत्र श्री घासीराम जाति धानका निवासी नई सडक जोधपुर।

03.राकेश पुत्र श्री घासीराम जाति धानका निवासी नई सडक जोधपुर।

04.बाबुलाल पुत्र श्री घासीराम जाति धानका निवासी नई सडक जोधपु।

अप्रार्थीगण :–

01.कंचनदेवी पुत्री हाथीराम जी जाति धानका निवासी दोलपुरा तहसील रिया बडी जिला नागौर।

02.केसीदेवी पुत्री धन्नाराम पत्नी स्व0 सुआजी जाति धानका निवासी पिचोलिया तहसील पिचोलिया तहसील भगवानपुरा जिला अजमेर।

03.छोटा देवी पुत्री स्व0 घासीराम पत्नी श्री सुखदेवजी जाति धानका निवासी अजमेर।

04.जगदीशराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति धानका निवसी दोलपुरा तहसील रिया बडी जिला नागौर।

05.बंशीलाल पुत्र श्री धन्नाराम जाति धानका निवासी दोलपुरा तहसील रियाबडी नागौर।

06.बाजूदेवी पुत्री हाथीराम जामि धानका निवासी दोलपुरा तहसील रिया बडी जिला नागौर।

07.बाबूराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति धानका निवासी दोलपुरा तहसील रिया बडी जिला नागौर।

08.माया पुत्री घासीराम पत्नी श्री मुलाराम जी जाति धानका निवासी विजयनगर अजमेर।

09.मिठूराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति धानका निवासी दोलपुरा तहसील रिया बडी जिला अजमेर।

10.विमलादेवी पत्नि हाथीराम जाति धानका निवासी दोलपुरा तहसील रिया बडी जिला नागौर।

11.सुमित्रा पुत्री घासीराम पत्नी मुकेशजी जाति धानका निवासी पीसागण जिला अजमेर।

12.मोहनराम पुत्र स्व0बस्तीराम जाति धानका निवासी मेडता सिटी जिला नागौर।

13.ईलायची देवी पुत्री स्व0 बस्तीराम पत्नी श्री सीताराम जी जाति धानका निवासी सवाईपुरा अजमेर।

14.राधादेवी पुत्री स्व0 बस्तीराम जी पत्नी श्री माणकजी जाति धानका निवासी अजमेर।

15.रतनादेवी पुत्री स्व0 बस्तीराम पत्नी श्री नवरतमलजी जाति धानका निवासी अजमेर।

16.पुखादेवी पत्नी स्व0 छोटूराम जी पुत्र स्व0 बस्तीराम जी जाति धानका निवासी मेडता सिटी जिला नागौर।

17.राजेन्द्र पुत्र स्व0 छोटूराम जी पुत्र स्व0 बस्तीराम जी जाति धानका निवासी मेडता सिटी जिला नागौर।

18.गोविन्द्र पुत्र स्व0 छोटूराम जी पुत्र स्व0 बस्तीराम जी जाति धानका निवासी मेडता सिटी जिला नागौर।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

19.जगदीश पुत्र स्व0 छोटूराम जी पुत्र स्व0 बस्तीराम जी जाति धानका निवासी मेडता सिटी जिला नागौर।

20.बाया देवी पत्नी श्री मुकेश जी पुत्री स्व0 छोटूराम पुत्र स्व0 बस्तीराम जी जाति धानका निवासी गन्दा नाला भगत की कोठी जोधपुर।

21.ललिता पत्नी सतूजी पुत्री स्व0 छोटूराम पुत्र स्व0बस्तीराम जाति धानका निवासी मेडता सिटी नागौर।

22.राजेश पुत्र स्व0 सीताराम पुत्र स्व0 बस्तीराम जी जाति धानका निवासी मेडता सिटी जिला नागौर।

23.अनिल पुत्र स्व0 सीताराम जी पुत्र स्व0बस्तीराम जाति धानका निवासी मेडता सिटी नागौर।

24.विनोद पुत्र स्व0 सीताराम जी पुत्र स्व0 बस्तीराम जाति धानका निवासी मेडता सिटी जिला नागौर।

25.सुनिता पुत्री स्व0सीताराम जी स्व0 बस्तीराम जाति धानका निवासी ब्यावर जिला जोधपुर।

26.सरोज पुत्री स्व0 सीताराम जी पुत्र स्व0 बस्तीराम जाति धानका निवासी मेडता सिटी नागौर।

27.ईलायची पत्नी स्व0 सीताराम जी पुत्र स्व0 बस्तीराम जी जाति धानका निवासी मेडता सिटी नागौर।

28.कुन्नाराम पुत्र स्व0 सीताराम जी पुत्र स्व0 जाति धानका निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।

29.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

30.उपपंजीयक लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

अधिवक्ता उपस्थितः–

01.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवडा उपस्थित।

02.अप्रार्थीगण संख्या 1,2,4,6,7,9,10,19 की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति उपस्थित।

03.शेष अप्रार्थीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक :– 07/02/2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर की सीमा मे प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 की सहखातेदारी की कृषि भूमियो वाके ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर मे खसरा नम्बर 571 रकबा 5.9789 हैक्टर खसरा नम्बर 577 रकबा 1.1574 हैक्टर खसरा नम्बर 573 रकबा 3.9416 हैक्टर खसरा नम्बर 572 रकबा 3. 8364 हैक्टर आयी हुई स्थित है। विवादग्रस्त भूमियो पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हिस्सो का इन्द्राज अनुसार प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमि पर काबिज नही है एव अप्रार्थीगण जो कि धन्नाराम जी के वारिसान है उनका तो उक्त विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियो पर एक इच पर भी कब्जा नही है एव प्रार्थीगण एव धन्नाराम के वारिसान के अलावा शेष अप्रार्थीगण सेपरेट रूप से अलग अलग खसरो पर काबिज है एव अपने अपने हिस्से की भूमियो मे काश्त करते हैं वर्तमान मे उक्त खसरान की कृषि भूमियॉ राजस्व रेकर्ड मे सहखातेदार के रूप मे ही दर्ज है जिसकी राजस्व नक्शे मे किसी प्रकार की कोई तरमीम दर्ज नही है। इन तमाम खसरान मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल नही करे एव न ही किसी प्रकार से विशेष भू–भाग पर कब्जा करे एव न ही किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण करे एव न ही प्रार्थीगण को

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

काश्त करने मे किसी प्रकार की कोई अडचन पैदा करे एव मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति कायम हेतु न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को समन जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1,2,4,6,7,9,10,19 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो पत्रावली किया गया शेष अप्रार्थी गण सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि खेत ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर की सीमा मे प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 की सहखातेदारी की कृषि भूमियो वाके ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर मे खसरा नम्बर 571 रकबा 5.9789 हैक्टर खसरा नम्बर 577 रकबा 1.1574 हैक्टर खसरा नम्बर 573 रकबा 3.9416 हैक्टर खसरा नम्बर 572 रकबा 3.8364 हैक्टर आयी हुई स्थित है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे एव मौके व राजस्व रेकार्ड यथास्थिति बनाई रखे विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि को बेचान नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे दखलअन्दाजी नही करे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव के तथ्यो को दोहरते हुए बहस मे कथन किया गया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर मे खसरा नम्बर 571 रकबा 5.9789 हैक्टर खसरा नम्बर 577 रकबा 1.1574 हैक्टर खसरा नम्बर 573 रकबा 3.9416 हैक्टर खसरा नम्बर 572 रकबा 3.8364 हैक्टर मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त सहखातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है अप्रार्थीगण सख्या 1,2,4,से 7,व 9, 10 का अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त निरन्तर बेरोक टोक शातिपूर्वक तौर पर चला आ रहा है शेष अप्रार्थीगण का भी अपने अपने हक हिस्से पर कब्जा काश्त है अगर प्रार्थीगण इस स्थगन आदेश की आड मे अप्रार्थीगण को बेदखल करने मे कामयाब हो गया तो प्रार्थी के बनिस्पत अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई करना संभव नही होगा एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदारो के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानूनी रूप से उचित प्रतीत नही होता है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर मे खसरा नम्बर 571 रकबा 5.9789 हैक्टर खसरा नम्बर 577 रकबा 1.1574 हैक्टर खसरा नम्बर 573 रकबा 3.9416 हैक्टर खसरा नम्बर 572 रकबा 3.8364 हैक्टर मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त सहखातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है विवादग्रस्त भूमि मे एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदारो के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा अधिकारी नही है क्योकि चूकि भूमि उपरोक्त प्रकरण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है ऐसी

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

स्थिति मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण हक–हिस्से सामन रूप से बनता है ऐसी स्थिति मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी कानूनी रूप से उचित प्रतीत नही होता है इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे प्रथम दष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होना पाया जाता है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिंदु साबित करने में असफल रहे है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम हो।

(पुखराज कांसोटिया आर,ए,एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 07/02/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)